

द्वितीय बमुक्तम ईबनचाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 का प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:- 442/2025

अदरीश पुत्र स्व. यासीन खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया - वादी  
बनाम

1. रफीका पुत्री स्व. अमीर खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. मजीद खां पुत्र स्व. यासीन खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. नूरभरी पुत्री स्व. यासीन खां जाति मुसलमान नि. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. इमामसैन पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. करम नीशा पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान नि. किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. इलाहीसैन पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. नूरनीसां पुत्री यासीन खां जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. राजबीबी पत्नी स्व. शहीद खां जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. मुस्तफा खां पुत्र स्व. शहीद खां जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. साबरअली पुत्र स्व. शहीद खां जाति मुसलमान नि.किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. मुसाफिर अली पुत्र स्व. शहीद खां जाति मुसलमान नि.किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. अनाया पत्नी यासीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री. कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किवादी के स्व. पिता यासीन पुत्र अमीर के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 124/38 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 4/11 हिस्सा अर्थात 1.012 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.228 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 4 को 0.127 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.126 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 8 ता 11 को 0.531 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. पिता यासीन पुत्र अमीर का नाम कलमजन करने व इसी प्रकार वादी के स्व. पिता यासीन पुत्र अमीरदीन के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.एम.के. के खाता सं. 76/64 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.647 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 8 ता 11 को 0.141 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. पिता यासीन पुत्र अमीरदीन का नाम कलमजन करने एवं इसी प्रकार वादी के स्व. पिता यासीन खां पुत्र अमीरदीन के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 134/40 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.253 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. पिता यासीन खां पुत्र अमीरदीन का नाम कलमजन करने तथा इसी प्रकार वादी के पिता यासीन पुत्र अमीरदीन एवं वादी की बुआ प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 62/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.563 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 0.437 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 4 व 7 को 0.126 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी के स्व. पिता यासीन खां पुत्र अमीरदीन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी


नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत्  निल  खर्चा मुकदमें के

मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

सहित मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2025 को जारी किया गया।



  
(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरूरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरूरिया